न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

वाद संख्या–526एम / 2023 (अपराध सं0–219 / 2022)

रिहाना बी प्रति ––– आमिर नूर आदि।

थाना कोतवाली, जिला पीलीभीत।

दिनांकः 09.12.2023

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में आदेशार्थ प्रस्तुत हुयी।

वादिनी मुकदमा रिहाना बी की ओर से पूर्व नियत दिनांक को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट के विरूद्ध वह काई आपत्ति दाखिल करना नहीं चाहती है तथा वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है। याचना की गयी है कि प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार करली जाये।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

चूंकि वादिनी मुकदमा उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहती है और मामले की वादिनी मुकदमा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को विचार में रखते हुए, जबकि मामले के विवेचक द्वारा सम्यक विवेचना के उपरान्त प्रश्नगत अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है एवं मामले की वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों को विचार में लेते हुए प्रश्नगत अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफत्र की जाये।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पीलीभीत।